न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 66/12 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :— 2012/00067

उनवान

1. चुन्नीलाल (मृतक)
   - 1/1 दर्शन, 1/2 सुन्दरलाल — पुत्रान चुन्नीलाल
   - 1/3 हेमलता पुत्री चुन्नीलाल

   जाति खत्री निवासी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

2. दुलीचन्द पुत्र घनश्यामदास
3. राधेश्याम पुत्र छबीलदास—मृतक
   - 3/1 अशोक पुत्र राधेश्याम
   - 3/2 पुष्पा पत्नी राधेश्याम
4. गोपीचन्द पुत्र छबीलदास—मृतक
   - 4/1 संजय, 4/2 रमन, 4/3 बब्बू — पुत्रगण गोपीचन्द

   जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5. जितेन्द्र पुत्र हुकमचन्द
6. अमित पुत्र हुकमचन्द
7. नेतराम—मृतक
   - 7/1 अशोक पुत्र नेतराम
   - 7/2 गिरधारी, 7/3 ललित, 7/4 देवेन्द्र — पुत्रान नेतराम
   - 7/5 विमला बेवा नेतराम
8. नानकचन्द पुत्र भगवानदास
9. विनोद पुत्र भगवानदास
10. लक्ष्मनदास — मृतक
    - 10/1 रजनी बेवा लक्ष्मनदास
    - 10/2 साहिल पुत्र लक्ष्मनदास

    जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.............अपीलार्थीगण

बनाम

1. दाऊदयाल पुत्र सूखाराम
2. सतीश कुमार — मृतक
   - 2/1 नीतू पत्नी सतीशकुमार जाति ब्राह्मण निवासी उपाध्याय पाड़ा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. दौलीराम पुत्र सूखाराम
4. लक्ष्मीनारायन—मृतक

   जाति ब्राह्मण निवासी उपाध्याय पाड़ा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4/1 विशाल पुत्र लक्ष्मीनारायन
4/2 दीक्षा पुत्री लक्ष्मीनारायन
4/3 रेखा पुत्री लक्ष्मीनारायन
जाति ब्राह्मण निवासी उपाध्याय पाड़ा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5. रतीराम पुत्र सूखाराम जाति ब्राह्मण निवासी उपाध्याय पाड़ा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. भवानी पुत्र लोकाराम जाति पंजाबी निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. खजानसिंह पुत्र पोथीराम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर–मृतक
   7/1 रामप्यारी बेवा खजानसिंह, जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 395/06 बउनवानी चुन्नीलाल बनाम दाऊदयाल में पारित निर्णय दिनांक 02.07.2012 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 188 व 183 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट सं. 2, 5 लगायत 10/2 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री पंकज कुमार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 03.06.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा मु.स. 395/06 बउनवानी चुन्नीलाल बनाम दाऊदयाल में पारित निर्णय दिनांक 02.07.2012, दावा अन्तर्गत धारा 188 व 183 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा हुक्म ईम्तनाई दवामी व कब्जा वापिसी बाबत् अन्तर्गत धारा 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय से पेश किया था कि विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.03 जो साबिक ख.न. 1394 रकबा 2 बिस्वा वाके कस्बा नदबई से बना है। विवादित आराजी मुत0 वादीगण की पैतृक आराजी है किन्तु प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी में प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी मुत0 पर जबरन कब्जा ना करें व गलत तरीके से किये गये अवैध निर्माण को हटवाकर वादीगण को आराजी मुत0 का कब्जा दिलाया जावे। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 व 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र आदेश 14 नियम 2 सीपीसी पेश किया गया एवं वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाब पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2012 को प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनकर निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट सं. 2, 5 लगायत 10/2 की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज कुमार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 व 183 आर.टी.एक्ट. को उक्त न्यायालय ने धारा 11 व 12 सीपीसी से प्रतिबंधित होना मानते हुए आदेश 14 नियम 2 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं होने के कारण तनकी सं. 5 का निर्णय प्रतिवादीगण के हक में करते हुये दावा वादीगण खारिज करने का निर्णय दिया है जो आदेश 7 नियम 11 (डी) सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत डिक्री की संज्ञा में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि विवादित आराजी मुत0 के सम्बन्ध में पूर्व में प्रस्तुत वाद के पक्षकार एवं प्रस्तुत वाद के पक्षकार भिन्न है तथा विवाद कारण भी भिन्न है क्योंकि पूर्व के दावा में घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती का मुख्य अनुतोष चाहा है। जबकि प्रस्तुत वाद में मुख्य अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा के लिये चाहा गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दू पर विचार किये बिना खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है। पूर्व के वाद में विवाद का कारण घोषणा के लिए उत्पन्न हुआ व प्रस्तुत वाद में स्थाई निषेधाज्ञा के लिये पैदा होना अंकित किया है इस प्रकार भिन्न–भिन्न विवाद कारणों पर अनेकों दावे लाये जा सकते है उन पर रेसज्यूडिकेटा या रेस– सबज्यूडिस के सिद्धान्त लागू नहीं होते हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री कतई गलत है, निरस्तनीये है। रेसज्यूडिकेटा या रेस–सबज्यूडिस का तर्क अभिवचनों में उठाया जाना नितान्त आवश्यक है तथा उक्त बिन्दूओं पर विशिष्ठ विवाद बिन्दू भी निर्धारित किया जाना होता है और साक्ष्य लिये जाने के पश्चात् ही उन्हें तय किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के विरुद्ध खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है। रेसज्यूडिकेटा एवं रेस– सबज्यूडिस दोनों बिन्दूओं को तय करने के लिये न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी पक्ष को पूर्व प्रस्तुत वाद के वादपत्र प्रतिवाद पत्र, विवाद बिन्दु एवं निर्णय का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। रेस– सबज्यूडिस के आधार पर भी दावा वादीगण खारिज नहीं किया जा सकता है। उसमें अग्रिम कार्यवाही पूर्व वाद के निर्णय होने तक स्थगित की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाये गये दोनों बिन्दु रेसज्यूडिकेटा एवं रेस– सबज्यूडिस विधि एवं तथ्यों के मिश्रित प्रश्न हैं इसलिए बिना साक्ष्य लिये केवल विधिक बिन्दू मानकर निर्णीत नहीं किये जा सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया विरुद्ध खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में स्वयं प्रतिवादी ने द्वितीय अपील की हुई है और उसमें दिनांक 22.01.2003 के आदेश से राजस्व मण्डल अजमेर ने उस समय की स्थिति को यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्दी आदेश जारी किया है इस प्रकार से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री माननीय राजस्व मण्डल की भावना के विपरीत है। इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीये हैं। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में2025(1) RRT 162, 2025(2) 1077 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई दिनांक 02.07.2012 निरस्त किया जावे तथा दावा वादीगण के अन्य विवाद बिन्दुओं पर सुनकर गुणावगुण पर निर्णित किया जावे दावा वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं तथा एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के खिलाफ अन्तर्गत धारा 188 व 183 आर.टी.एक्ट. के तहत वाद मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण वाद वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

इसी आधार पर काबिल खारिजी था। उक्त विवादित आराजी से वादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है और ना ही वादीगण ने किसी टीनेन्ट की हैसियत से आराजी मुत0 पर काश्त की है। विवादत आराजी के संबंध में पूर्व में न्यायालय तहत द्वारा दिनांक 30.10.1999 को उक्त आराजी के सम्बन्ध में वाद खारिज किया जा चुका था तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2003 राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के खिलाफ प्रतिवादी सं. 6 चम्पा देवी वगै. द्वारा की गई द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र आदेश 14 नियम 2 सीपीसी भी पेश कर कथन किया था कि उक्त उनवानी प्रकरण साक्ष्य वादी में लगा हुआ है। उक्त प्रकरण में विवादित खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में पूर्व में निर्णय दिनांक 30.10.1999 को इन्हीं पक्षकारों के मध्य हो चुका है। जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 14 नियम 2 पर बहस सुनकर तनकी सं. 5 का निर्णय पारित किया गया, जो विधिसम्मत रुप से सही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश व डिक्री विधिसम्मत हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2012 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 27.07.2012 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट्स वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 द्वारा दिनांक 13.11.2009 को जबाबदावा पेश किया गया है। प्रतिवादी सं. 7/1 के जबाब हेतु मौका चाहा जाना इसी आदेशिका में अंकन किया गया है एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.12.2009 नियत की गयी। दिनांक 31.12.2009 की कोई आदेशिका अंकित नहीं की गयी एवं उसके बाद पत्रावली पर आदेशिका 26.03.2010 को अंकित की गयी है जिसमें तनकीयात कायमी हेतु पत्रावली 03.05.2010 को नियत की गयी। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 7/1 ने जबाबदावा पेश किया या नही किया बाबत कोई अंकन अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में नहीं किया है एवं न ही प्रतिवादी सं. 7/1 द्वारा पेश जबाबदावा पत्रावली के अवलोकन से उस पर उपलब्ध होना भी नहीं पाया गया। न ही पत्रावली पर प्रतिवादी सं. 7/1 का जबाबदावा पेश नहीं होने पर बन्द ही किया गया है। आदेशिका पर दिनांक 03.05.2010 को तनकीयात कायम की गयी है। एवं पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मे नियत की गयी। दिनांक 26.08.2010 को प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 2 सीपीसी का पेश किया गया एवं वादीगण की ओर से इस प्रार्थना–पत्र का जबाब दिनांक 07.09.2010 को पेश किया गया। इसी दौरान प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सीपीसी का दिनांक 18.01.2011 को पेश किया गया जिसका जबाब वादीगण द्वारा दिनांक 13.04.2012 को पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र आदेश 8 नियम 1(3) पांच सौ रुपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया गया आदेशिका में इस आदेश पर कोई तारीख अंकित नहीं है। दिनांक 01.06.2012 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 2 सीपीसी पर बहस सुनी गयी एवं दिनांक 02.07.2012 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 2 सीपीसी का निर्णय पारित कर वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज कर दिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 11, 12 व आदेश 14 नियम 2 सीपीसी के प्रावधानों को इस प्रकरण पर लागू होना मानकर तनकी सं. 5 को प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध मानकर उनके पक्ष में निर्णित कर वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि वर्तमान वाद से सम्बन्धित पक्षकारों में से पक्षकार पूर्व वाद जो अब राजस्व मण्डल में विचाराधीन है, में भी पक्षकार थे तथा वर्तमान विवादित खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.03 हैक्टर जो साबिक खसरा नम्बर 1394 रकबा 2 बिस्वा भी राजस्व मण्डल के प्रकरण में विद्यमान है तथा धारा 188 के तहत वाद इस न्यायालय में तथा राजस्व मण्डल में विद्यमान है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 14 नियम 2 सीपीसी के उपनियम 2 के तहत तनकी सं. 5 को विधि की तनकी मानते हुए उसे सीधे ही दस्तावेजों का विवेचन करते हुए प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध मानकर उनके पक्ष में निर्णित कर वादीगण का वाद धारा 11 एवं 12 सीपीसी लागू मानते हुए खारिज कर दिया। मुख्य रुप से रेसजयूडिकेटा मानते हुए वाद को खारिज किया गया है। जबकि रेसज्यूडिकेटा से सम्बन्धित तनकी तथ्य एवं विधि का समिश्रण है। ऐसी तनकी में पहले साक्ष्य आधारित तथ्य अन्वेषण कर तथ्यात्मक निष्कर्ष लिया जाता है। रेसजयूडिकेटा की तनकी पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पहले ज्ञात किया जाता है कि क्या इसी वादग्रस्त भूमि के बारे में इन्ही पक्षकारों के मध्य पूर्व में सक्षम न्यायालय में कोई वाद इन्ही अनुतोष प्राप्ति हेतु दायर होकर गुणावगुणों पर निर्णित हो चुका है, इस तथ्यात्मक निष्कर्ष उपरान्त विधिक निष्कर्ष लिया जाता है कि इस पूर्ण निर्णय का प्रश्नगत वाद पर क्या प्रभाव है तथा प्रश्नगत वाद क्या रेसजयूडिकेटा से बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय को तनकी सं. 5 के आधार पर निर्णय पारित करने से पूर्व इस तनकी से सम्बन्धित उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर विधिक प्रक्रियानुसार दस्तावेजात प्रदर्शित करके ही निष्कर्ष जारी करना चाहिए था क्योंकि बिना विधिवत साक्ष्य लिए एवं बिना दस्तावेज प्रदर्शित किए दस्तावेज पढ़े ही नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सीधे ही साक्ष्य लिए बिना ही राजस्व अभिलेख का विवेचन कर निष्कर्ष निकाल कर अपीलान्ट/वादीगण का वाद, प्रतिवादी सं. 1 व 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 14 नियम 2 सीपीसी स्वीकार कर खारिज कर दिया। जो विधिसम्मत नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य है। अतः उभयपक्ष द्वारा साक्ष्य, सबूत लेकर दावे को विधिक प्रक्रिया अनुसार निर्णित करने हेतु पुनर्विचारण (Re-trial) आवश्यक होने से अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील निर्णय दिनांक 02.07.2012 अपास्त कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 02.07.2012 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, साक्ष्य–सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 06.07.2026 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के समक्ष उपस्थित हों, उभयपक्ष को पृथक से नोटिस जारी करने की आवश्यकता नही रहेगी।
10. निर्णय आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर